न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

...संख्या 137 / 03(दावा)

1. अखिलेश कुमार सिंह पुत्र भरतसिंह
2. नरेन्द्रसिंह पुत्र भरतसिंह

} जाति राजपूत निवासी कीर्तिनगला तहसील महवा जिला दौसा

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महवा

दावा बाबत घोषणा खातेदारी

दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 31–01–2018

वादीगण के वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कीर्तिनगला तहसील महवा की आराजी हाल खसरा नम्बर 191 रकबा 18 विस्वा जिसका गत खसरा नम्बर 47 / 1 रकबा 12 विस्वा था, वादीगण के पिता भरतसिंह को सन 1964 में आदेश श्रीमान जिला कलेक्टर दिनाक 2.12.1964 नं. 287 से आवंटन हुआ था आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 7 दिनांक 10–7–67 को तस्दीक किया जाकर किस्म भूमि गै. मु.रास्ता से बदल कर चाही दोयम में तब्दील की गयी तथा वादीगण के पिता भरतसिंह उक्त भूमि पर बतौर खातेदार काबिज हो गये तथा राजस्व रिकार्ड में भी उपरोक्तानुसार इन्द्राज हो गया।

भू प्रबध विभाग द्वारा गत खसरा नम्बर 47 / 1 रकबा 12 विस्वा से बनाये गये नवीन खसरा नम्बर 191 रकबा 18 विस्वा को पुनः बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के भूमि की किस्म सिवायचक दर्ज कर दी। भू प्रबन्ध विभाग को वादीगण के पिता की खातेदारी हजफ करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादीगण के पिता को कब्जा के आधार पर आवंटन किया गया था आज भी वादीगण का ही कब्जा काश्त है। अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है। इस कारण वादीगण उक्त नवीन खसरा नम्बर 191 रकबा 18 ऐयर की खातेदारी को दुरूस्ती कराने के अधिकारी है।

राजस्व कर्मचारियों व भू प्रबन्ध विभाग को ऐसा करने का कोई अधिकार नही था वादीगण की खातेदारी समाप्त होने पर वादीगण के अधिकरों का हनन हो रहा है इसिलिये वादीगण को वाद पत्र प्रस्तुत करना जरूरी हुआ है। वादीगण दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है। वादीगण को उक्तत गलत इन्द्राज की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी वादीगण को राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 91 का नोटिस देने पर इसकी जानकारी हुई ।

... महवा से उक्त इन्द्राज को दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार महवा ने ... करने से इन्कार कर दिया इसलियो घोषणा खातेदारी का वाद प्रस्तुत करना जरूरी ... है।

वादीगण के पिता भरतसिंह का एवं उनकी मृत्यु होने पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसलिये वादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है। वाद अन्दर मियाद है। अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सरकार पैरोकार की ओर से जबाब दावा इस प्रकार प्रस्तुत हुआ है कि वादपत्र के बिन्दु संख्या 1 व 2 स्वीकार है तथा बिन्दु संख्या 3 आंशिक रूप से स्वीकार है। बिन्दु संख्या 4 को वादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष सबूतों के साथ सिद्ध करें। बिन्दु संख्या 5 के संबंध में अंकित किया है कि आंशिकस्वीकार है तथा वादीगण स्वयं न्यायालय के समक्ष सिद्ध करें कि तत्समय वादीगण की कब्जा काश्त थी तथा आराजी का रास्ता के रूप में उपयोग नहीं हो रहा था ।

वादीगण की ओर से दस्ततोवजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये ।

1. नकल नामान्तरकरण संख्या 7
2. नकल मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग
3. नकल जमाबंदी संवत 2027–30
4. नायब तहसीलदार महवा द्वारा जारी किया गया नोटिसअन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
5. नकल जमाबंदी संवत ––
6. नकल नक्शा–ट्रेस गत
7. नकल नक्शा ट्रेस
8. नकल नक्शा ट्रेस वर्तमान

9- नकल खसरा गिरदावरी संवत 2020, 2016–2018, 2019

10. नकल जमाबंदी संवत 2031–33
11. नकल जमाबंदी संवत 2035–38
12. नकल जमाबंदी संवत 2043–46
13. नकल जमाबंदी संवत 2051
14. नकल मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध विभाग

कार्यालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट * महवा (दौसा) *

वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में वादी अखिलेश कुमार सिंह गवाह कानसिंह व सोहनपाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है।

वादीगण के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।नकल नामान्तरकरण संख्या 7 काअवलोकन करते है तो पाते हैं कि सिवायचक आराजी गत खसरा नम्बर 99 में से 12 विस्वा व 47/1 में से 12 विस्वा भूमि का भरतसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी कीर्तिनगला के पक्ष में श्रीमान जिलाधीश महोदय सवाईमाधोपुर द्वारा नियमन किया गया था । नकल जमाबंदी संवत 2027–30 के अनुसार खसरा नम्बर 47/1 रकबा 12विस्वा गै.मु.रास्ता की किस्म परिवतित कर चाही दोयम की खातेदारी भरतसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत सा.देह के नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी सवंत 2031–33 के अनुसार खसरा नम्बर 47/1 रकबा 12 विस्वा की खातेदारी भरतसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी कीर्तिनगला के नाम दर्ज है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2035–38 में, खातेदारी दर्ज है। इससे यह तो स्पष्ट होता है कि गत खसरा नम्बर 47/1 में से 12 विस्वा भूमि का नियमन भरतसिंह पुत्र रणजीतसिंह को हुआ था तथा नियमन के पश्चात उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे। इसके पश्चात नकल जमाबंदी संवत 2043–46 के अनुसार जमाबंदीके काल म संया 4 में खातेदार के रूप में भरतसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम दजहै। जमाबंदी के विवेश विवरण में अंकित नोट के अनुसार– नामा.सं. 12/4–6–92 विरासत से भरतसिंह के बजाय मु. केदार बाई बेबा भरतसिंह,अखलेशकुमार सिंह नरेन्द्रकुमार सिंह पि. भरतसिंह का नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। इससे यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित है कि भू प्रबन्ध से पूर्व वादीगण वादग्रस्त भूमि के गत खसारा नम्बर 47/1 रकबा 12 विस्वा के खातेदार दर्ज थे।

भू प्रबन्ध के दौरान गत खसरा नम्बर 47/1 रकबा 12 विस्वा से नवीन खसरा नम्बर 191 रकबा 18 ऐयर बनाया गया है जैसाकि नकल मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग से स्पष्ट होता है। नवीन खसरा नम्बर 191 के राजस्व रिकार्ड के बारे में विचार करते है तो पाते हैं कि नकल जमाबंदी संवत 2051 आधार वर्ष के अनुसार खसरा नम्बर 191 रकबा 18 ऐयर को राजकीय भूमि के खाते में दर्ज कर रखा है जबकि वादीगण की खातेदारी में दर्ज होना चाहिये था। भू प्रबन्ध विभाग को बिना किसी आदेश के किसी की खातेदारी को समाप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

नायब तहसीलदार महवा द्वारा वादीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है जो आराजी खसरा नम्बर 191 से ही संबंधित है। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि वादीगण आराजी खसरा नम्बर 191 पर वर्तमान में भी काबिज काश्त है। वादीगण की ओर खसरा गिरदावरियों की नकलें प्रस्तुत की गयी है जिनके अवलोकन से यह पाया जाता है कि गत खसरा नम्बर 4 रकबा 12 विस्वा पर वादीगण के पिता भरतसिह पुत्र रणजीतसिंह का कब्जा काश्त है। वादीगण की मौखिक साक्ष्य से भी वाद तथ्यों को समर्थन मिलता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि वादीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर 47/1 रकबा 12 विस्वा को भू प्रबन्ध के दौरान नवीन खसरा नम्बर 191 रकबा 18 ऐयर में समाप्त कर सिवायचक दर्ज कर दिया है जो गलत है तथा भू प्रबन्ध विभाग को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के खातेदारी समाप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण का वाद पूर्णतया प्रमाणित होता है। इसलिये वाद डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम कीर्तिनगला तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 191 रकबा 0.18 हैक्टयर का वादीगण अखिलेशकुमार सिंह,नरेन्द्रसिंह पि.भरतसिंह जाति राजपूत निवासी कीर्तिनगला तहसील महवा हि.ब.का खातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम की प्रविष्ठियां की जावे। तदनुसार डिक्री की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31–01–2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट महवा (दौसा)

(अजयकुमार आर्य)
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा